

16/3/2022

प्राप्त की है। अखिल भारतीय
पत्र उपाधिकृत बहल गर्भना पर अखिल
उत्तर प्रदेश शुद्धी मंत्री अखिल भारतीय

2019
00070

एवं वाड प्रस्ता 69/2019 का अर्थात्
की विषय वस्तु एवं पश्चात् (अर्थात्) होने
ले गर्भना पर अर्थात् द्वारा 10 सी.पी.सी.
(अर्थात्) द्वारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य
पाया जाने (स्वीकार) किया जाता है अखिल

वाड 126/2019 अर्थात् की चालू वनाम संस्था
को पूर्ववती वाड प्रस्ता 69/2019 के साथ
फलदा कर जाने के कारण रिए जोते एवं इस
वाड में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किए
----- लगाता

(विश्वाम सुन्दर विस्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपस्थान्त अधिकारी
चिन्मैदाद (राज.)



हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

जाने के आदेश रीर जते हैं। इस वार
के वार सख्खा 69/2019 के साथ
अलग किया जावे। वार सख्खा 69/2019
का निर्देश इस वार में भी उभावी रहेगा।
इस वार पर भी गणना निर्देश में
की जाकर पूर्वकी वार 69/2019 अगली
गुर्तियायतुवा सख्खा देहवली वनाम राजे
सख्खा के साथ अलग किया जावे।
आदेश सुले जायसख्खा में हुक्ममा जस

(रजय सुन्दर विस्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चिन्मैदाद (राज.)